कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
पत्रांक– 433 /11–सी–गौतमबुद्धनगर, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 22, 2015

सेवा में,

सचिव, (वन)
उ0प्र0शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय– जनपद–गौतमबुद्धनगर में डी0एफ0सी0सी0 द्वारा विकसित किये जा रहे वेस्टर्न कॉरिडोर के निर्माण हेतु 11.809 है0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3570 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपके कार्यालय की पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/07/08/2015/एफ0सी0/1767, दि0 27.03.2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग द्वारा गौतमबुद्धनगर में डी0एफ0सी0सी0 द्वारा वेस्टर्न कारीडोर के निर्माण हेतु 11.809 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3570 वृक्षों के पातन की अनुमति का संशोधित प्रस्ताव पत्रांक 151/14–1, दिनांक 23.07.2015 से आपत्तियों के निराकरण सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जनपद–फरीदाबाद से सम्बन्धित वनभूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव पूर्व प्रेषित प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।

विषयांकित प्रकरण में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार है:–

1– प्रस्तावित योजना से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, के सम्बन्ध में सूचना प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु VI में अंकित कर दी गई है।
2– जनपद–गौतमबुद्धनगर में 24 है0 अवनत वन खण्ड उपलब्ध न होने के कारण जनपद–मेरठ में 24 है0 अवनत वन खण्डों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की गूगल Image संलग्न एवं मानचित्र संलग्न है (पृष्ठ 145 व 146)।
3– न्यूनतम वनभूमि की आवश्यकता के प्रमाण–पत्र में प्रयोक्ता अभिकरण के सक्षम अधिकारी की मुहर लगा दी गई है (पृष्ठ–13)।
4– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि की अण्डरटेकिंग एवं अन्य प्रमाण–पत्र पर सक्षम अधिकारी की मोहर लगा दी गई है (पृष्ठ 14, 15 व 16)
5– संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 11.809 है0 को दिनांक 19.10.2012 को किया गया था। संशोधित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में संलग्न कर दिया गया है (पृष्ठ–17)।
6– एक ही वन खण्ड में गैर वनभूमि की अनुपलब्धता का जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया है (पृष्ठ–19)।
7– पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न कर दी गई है (पृष्ठ–20–93)।
8– प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का Digital Map संलग्न है (पृष्ठ–145)।
9– निर्देशानुसार प्रस्ताव संशोधित करते हुए अवनत वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।
10– अण्डरटेकिंग विविध शर्तों (मानक शर्तों) पर सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है (पृष्ठ–94–95)।

उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव की मूल प्रति एक अतिरिक्त प्रति सहित 2 प्रतियों में इस अनुरोध से प्रेषित की जाती है कि कृपया उक्त प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–मूल प्रस्ताव व प्रस्ताव की प्रति।

भवदीय

रा.कु.गर्ग
(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 433 / दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारियों को प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के कार्यालय के पत्रांक 151/14–1, दिनांक 23.07.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त, मेरठ।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर, ई–1 सेक्टर–01, नोएडा।
3– अति0 मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0/नोएडा यूनिट, डी–89, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 ।

रा.कु.गर्ग
(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।